(142)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2234–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 45/निगरानी/2011–12.

.....

1–विश्रामसिंह आत्मज श्री नंदलाल
2–हरिसिंह आत्मज श्री नंदलाल
निवासी ग्राम भौरी तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

खिल्ला कालोनाईजर प्रा0लि0
द्वारा श्री खिल्लूमल चन्दनानी आत्मज श्री सतणमल चन्दनानी
निवासी ग्राम भौरी तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री टी0आर0गौर, अभिभाषक– आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 21/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक खिल्ला कालोनाईजर प्रा0लि0 द्वारा अपर तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भौरी एवं बरखेड़ा सालम की शासकीय भूमि पर कुछ लोग कृषि कर रहे हैं और कुछ लोगों ने मकान बना लिये हैं । नप्ती होने के बाद भी कृषक कॉकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है, अतः शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–11–2011 को प्रकरण कमांक

57/बी–121/11–12 दर्ज कर हल्का पटवारी को पुलिस बल सहित कब्जा हटाये जाने हेतु पत्र जारी किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–4–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक, आवेदकगण की भूमि को औने–पौने दाम में खरीदने के लिये प्रयासरत् है और उक्त भूमि आवेदकगण द्वारा अनावेदक को विक्रय नहीं किये जाने के कारण शासकीय रास्ते पर अवैध कब्जा बताकर आवेदकगण का रास्ता रोकने का प्रयास अनावेदक द्वारा किया जा रहा है ।

(2) अनावेदक शासकीय भूमि पर कालोनी के लिये रास्ते का निर्माण करना चाहता है, इसी उद्देश्य से उसके द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक द्वारा बाला–बाला आवेदकगण को सूचना दिये बिना पंचनामा व प्रतिवेदन तैयार कराया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसीलदार द्वारा वास्तविकता की जॉच कराये बिना आवेदकगण की निजी भूमि पर बने मकान को अवैध तरीके से शासकीय दर्शाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया गया है । इस स्थिति पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(5) अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की निगरानी बिना किसी ठोस आधार के निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(6) तहसीलदार द्वारा आस पास के कृषकों को सूचना दिये बिना सीमांकन के आदेश दिये गये हैं जिसके आधार पर सीमांकन दल में अनावेदक की मर्जी के अनुसार सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है । इस पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा दिनांक 18–11–2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–11–2011 को ही पटवारी को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने बावद् पत्र लिख दिया गया है, जबकि प्रकरण दिनांक 21–11–2011 को दर्ज किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21–11–2011 को सीमांकन कार्यवाही कर इस आशय का प्रतिवेदन अपर तहसीलदार को भेजा गया है कि मौके पर विवाद की स्थिति होने से पुलिस बल की उपस्थिति में सीमांकन कराया जाये । अर्थात् अपर तहसीलदार द्वारा बिना सीमांकन कराये और बिना यह निर्धारण करे कि शासकीय भूमि पर किन–किन व्यक्तियों का कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है, शासकीय भूमि मुक्त कराने के आदेश दिया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है, इसलिये अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपर कलेक्टर द्वारा भी उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर,जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2011 एवं अपर कलेक्टर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार सम्बन्धित व्यक्तियों को आहूत कर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करायें । सीमांकन में शासकीय भूमि पर अवैध अतिकमण पाये जाने पर संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर